


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 604

(मात्रा किं. में)

| क्रमांक | विपणन वर्ष | उपार्जित मात्रा |
|---------|------------|-----------------|
| 1 | 2016-17 | 29195.95 |
| 2 | 2017-18 | 59978.00 |
| 3 | 2018-19 | 27572.50 |


सयुक्त अधिकृत
सहकारिता, म.प्र.
कनुमारा अधिकारी
म.प्र. सहकारिता,
सहकारिता विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 604

उपार्जित स्कंध में आई कमी के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा निराकरण के लिये जिला कलेक्टर को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया है. अतः जिला कलेक्टर उज्जैन के समक्ष आर्बीट्रेशन के लिये प्रकरण वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक के दायर किये गये हैं, जिसमें से वर्ष 2013-14, 2015-16 एवं 2016-17 के प्रकरणों में संस्था का आवेदन निरस्त होने से आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रकरण क्रमांक एसी/18/2017 में दिये गये निर्णय के अनुक्रम में न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष विचाराधीन है। दायर प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

(मात्रा किंव. में)

| क्रमांक | विपणन वर्ष | शार्टेज | राशि |
|---------|------------|---------|--------------|
| 1 | 2013-14 | 175.50 | 263250.00 |
| 2 | 2014-15 | 392.60 | 608530.00 |
| 3 | 2015-16 | 28.48 | 41296.00 |
| 4 | 2016-17 | 43.00 | 65575.00 |
| 5 | 2017-18 | 61.38 | 99742.00 |
| 6 | 2018-19 | 20.64 | 35810.00 |
| | योग | 721.60 | 11,14,203.90 |

[Handwritten Signature]
 अनुमत अधिकारी
 म० प्र० शासन,
 सहकारिता विभाग

[Handwritten Signature]
 संयुक्त आयुक्त
 सहकारिता, म.प्र.